रंजुला भारती
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1134 / 2025

1. ललन शर्मा उम्र करीब 46 वर्ष
पिता–स्व.मंगल शर्मा
साकिन–धोरमुहा टोला–सिटानाबाद उत्तरी वार्ड नं.09,
थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार .....विपक्षी

18.03.2026

आवेदक / अभियुक्त ललन शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत केस सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–302 / 2025 धारा–84,80,3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज है।

अग्रिम जमानत आवेदन चालित करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत नारायण यादव ने निवेदन किया कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय,पटना में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। उनका अग्रिम कथन है कि आवेदक निर्दोष है, साथ ही इसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।उपरोक्त घटना से आवेदक को कोई लेना–देना नहीं है। घटना मृतिका के मायके का है जहां आवेदक ना तो मौजूद था और ना ही उक्त समय वो घटनास्थल पर ही मौजूद था। आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का दहेज पैसा इत्यादि को लेकर प्रताड़ित नहीं किया गया था और ना ही आवेदक को इस घटना के विषय में कोई जानकरी है। आवेदक जगह जमीन वो भी घर मकान वाला व्यक्ति है जिसे पलायन की कोई संभावना नहीं हैं। उपरोक्त आधार पर इन्होंने आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना किए हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

अभियोजन कहानी का सारांश इस वाद की सूचिका उषा देवी के अनुसार उसकी पुत्री का शादी अंकित कुमार शर्मा के साथ वर्ष 2024 में हुई थी। शादी के उपरांत सूचिका की पुत्री के पति वो ससुर ललन शर्मा दहेज

के रूप में अपने छत ढलाई के लिए एक लाख रूपया का मांग करते हुए मारपीट, गाली–गलौज वो जान से मारने की धमकी बार–बार देता था जिसकी सूचना सूचक की पुत्री फोन के माध्यम से बतलाती थी। सूचिका की पुत्री दोनों पिता पुत्र को बोलती थी कि मेरी मॉ विधवा वो लाचार महिला है कहां सेदेगी तो उसके कई दिनों तक भूखा कमरे में बंद करके रखा जाता सूचिका की पुत्री अपने पति के साथ सूचिका के साथ ही नैहर में रह रही थी। दिनांक–06.10. 2025 को सूचिका अपना ईलाज हेतु सदर अस्पताल सहरसा गयी थी जहां से उसकी बड़ी बेटी उसे अपने ससुराल लेकर चली गयी । दिनांक–07.10.205 को जब सूचिका अपने घर सुबह करीब 9.00 बजे वापस आयी तो अपने घर ताला लगा देख अपनी पुत्री निशा कुमारी को आवाज लगायी। जबाब नहीं मिलने पर सूचिका अपने पड़ोसियों को आवाज लगाकर बुलाई ताला तोड़कर घर के अंदर गयी तो देखी कि उसकी पुत्री निशा कुमारी के गले में ओढ़नी लगा था तथा वह घर के बल्ली में लटकी हुई थी जिसे सूचिका और उसके पड़ोसी मिलकर बल्ली से नीचे किया लेकन वह मरी हुई थी। सूचिका का दामाद घर से फरार था जो कि दूर्गापुजा के समय से ही सूचिका के यहां रहता था। सूचिका के दामाद ने उसकी पुत्री निशा कुमारी को मारकर बल्ली में लटका दिया तथा बाहर से ताला लगाकर भाग गया। उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी के कंडिका–4 में वादिनी का पुनः बयान है। कंडिका–5 में साक्षी ननकी देवी,कंडिका–6 में साक्षी दामोदर दास का बयान है जिसने घटना का समर्थन किया है। मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन में मृतिका के मृत्यु का कारण गला दबाकर मारकर टांग देना कहा गया है।

रंजुला भारती
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1134 / 2025
(सिमरी बख्तियारपुर थाना–302 / 2025)

–लगातार–
18.03.2026

आवेदक मृतिका के ससुर है एवं इनके विरूद्ध भी सभी ने दहेज की मांग करने का आरोप लगाया है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्राप्त तथ्यों, परिस्थितियों, लगाए गए आरोप की गंभीरता एवं आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक / अभियुक्त को इस अवस्था में अग्रिम जमानत की सुविधा दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार, आवेदक / अभियुक्त ललन शर्मा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम